

बिहार सरकार
जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति, भोजपुर (आरा)
निविदा आमत्रण
निविदा संख्या-01/2019-20

जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना समिति, भोजपुर(आरा) के क्षेत्राधीन सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि भोजपुर जिला के मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण करने के लिए कुल 14 प्रखंडो के संवेदक चयन हेतु निविदा आमत्रित की जाती है विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	निविदा की अवधि (दो वर्ष)
1	अगिआँव	वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु
2	आरा सदर	
3	बडहरा	
4	बिहिया	
5	चरपोखरी	
6	गडहनी	
7	जगदीशपुर	
8	पीरो	
9	कोईलवर	
10	सहार	
11	सदेश	
12	शाहपुर	
13	तरारी	
14	उदवंतनगर	

1. इच्छुक निविदादाता निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर मुहरबंद लिफाफे में केवल निबंधित डाक के माध्यम से निविदा "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर, आरा परिषद् के समीप, रामा डेन्टल क्लिनिक के नीचे भोजपुर आरा-802301" के कार्यालय में भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय समाप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा पत्र प्राप्ति तिथि के दूसरे दिन पूर्वाह्न- 11 बजे समाहरणालय स्थित सभा-कक्ष में जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना संवेदक चयन समिति के समक्ष खोला जायेगा।
2. विस्तृत जानकारी एवं शर्ता हेतु कार्यावधी में जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर के सूचना-पट्ट पर एवं वेबसाईट www.bhojpur.bih.nic.in पर जानकारी उपलब्ध है।

बिहार सरकार
जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति, भोजपुर (आरा)
निविदा आमंत्रण

निविदा संख्या-01/2019-20

निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 में निहित निदेश एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2019 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में भोजपुर जिला अन्तर्गत कुल 14 प्रखण्डों के लिए संवेदक के चयन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन मुहरबंद निविदा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु 5 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (चार पहिया वाहन) एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्ड के लिए 8 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन (चार पहिया वाहन) की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएंगे। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध कराएंगे।
2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू० मात्र) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा, (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा।
3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू० मात्र) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस करना होगा।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू०) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस०एफ०सी० (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखण्ड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल नम्बर जिला का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जाएगा।
11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है।



गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित, निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair Average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।
13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात— यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेन्स, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेस, एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से सभी संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जायेगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिए हैं।
14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID Proof/ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 1218 दिनांक 10.07.2018 के कार्यालय आदेश के तहत निदेशलाय पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 के कंडिका 16 में स्वयं का दो या दो से अधिक वाहन होने की स्थिति में जिसके पास स्वयं का अधिक वाहन होता था उसको प्राथमिकता दिया जाता था, उक्त कंडिका को आंशिक संशोधित करते हुए अब निविदादाता जिनके पास अपना ट्रैक्टर/पिकअप/छोटी वाहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहन स्वयं का ज्यादा होने पर भी प्राथमिकता नहीं दिया जायेगा। अपने नाम से न्यूनतम दो वाहन का होना अनिवार्य होगा। इसके बाद भी सभी अर्हता समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। शेष यथावत रहेगा।
17. संवेदक के चयन मुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाए जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखण्ड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। वाहन की व्यवस्था प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। जिस वाहन से खाद्यान्न की दुलाई करेंगे उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम, पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे।
18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जायेगा।
19. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, इंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा विद्यालयके प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवहन-सह-हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15 वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

✓

20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।
21. एक चयनित संवेदक से 2 वर्ष तक ही कार्य लिया जायेगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा। दो वर्ष समाप्त होने के पहले (31 मार्च तक) नये संवेदक का चयन कर 1 अप्रैल से नये संवेदक के साथ एकरारनामा कर लेना अनिवार्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति में नये संवेदक के चुनाव निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाता है, उस प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। प्रखंड साधन सेवी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी मात्र दो ही माह वैकल्पिक तौर पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। यदि उक्त समयावधि के अन्दर चयन नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जबाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नये सिरे से निविदा का प्रकाशन किया जायेगा।
22. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 1218 दिनांक 10.07.2018 के कार्यालय आदेश के तहत राज्य खाद्य निगम में खाद्यान्न ढोने वाले अभिकर्ता को उसी जिला का मूल निवासी होने की बाध्यता पर निदेशलय पत्रांक 2226 दिनांक 20.11.2017 के कडिका 22 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत निविदादाता को उसी जिला का मूल निवासी होने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है। बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी जिला में संवेदक हेतु निविदा में भाग ले सकता है।
23. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जाएगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर (आरा)


जिला शिक्षा पदाधिकारी
भोजपुर (आरा)


उप विकास/आयुक्त
भोजपुर (आरा)


जिला पदाधिकारी
भोजपुर (आरा)

कार्यालय जिला मध्याह्न भोजन योजना, भोजपुर, आरा
(निविदादाता के द्वारा प्राप्त वांछित वाहन के कागजातों का विवरण)
प्रपत्र- (क)

निविदादाता का नाम..... पिता का नाम.....

ग्राम..... पोस्ट..... भाया..... थाना.....

जिला..... पिन कोड..... किस प्रखंड के लिए आवेदन किया गया है.....

क्रम संख्या।	वाहन मालिका का नाम एवं पुरा पता।	वाहन का प्रकार।	वाहन का निबंधन संख्या।	वाहन का निबंधन किस जिला का है।	वाहन परमिट का वैधता अवधि (साक्ष्यसहित)।	वाहन का टैक्स वैधता अवधि (साक्ष्यसहित)।	वाहन का बीमा अवधि (साक्ष्यसहित)।	वाहन में जी०पी०एस० का नंबर (साक्ष्यसहित)।	वाहन स्वतंत्रता है या निर्जी।	प्रदूषण वैधता अवधि (साक्ष्यसहित)।	एक हजार के गनजुडिसियल स्टम्प पर स्वाम्पन उठाव के लिए वाहन मालिक से एकरास्नामा किया गया है या नहीं।	सभी वांछित कागजात आवेदक द्वारा स्वअभिप्रेमाणित हैं या नहीं।	अभियुक्ति।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं तिथि

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,।
संवेदन चयन हेतु आवेदन-सह-स्वघोषणा प्रत्र।

1. आवेदित प्रखंड का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. उम्र (जन्म तिथि) :-
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :-
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :-

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

7. स्थायी पता :-
- ग्राम- पोस्ट- थाना -.....
- प्रखण्ड - जिला - राज्य-.....
- पिन कोड-

8. पत्राचार का पता :-.....
- ग्राम- पोस्ट- थाना -.....
- प्रखण्ड - जिला - राज्य-.....
- पिन कोड-

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :-

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :-

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :-

12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पारापोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :-
- (एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ/नहीं) :-

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना में कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक/ असंतोषजनक	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ०सं०

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनों की संख्या :-

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	कुल वाहन	
							निजी वाहन	अन्य वाहन
1.							संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख	
2.							पृ.सं. से तक	
3.							पृ.सं. से तक	
4.							पृ.सं. से तक	
5.							पृ.सं. से तक	
6.							पृ.सं. से तक	
7.							पृ.सं. से तक	
8.							पृ.सं. से तक	

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ/नहीं) :-
(यदि हाँ तो, किनके नाम से एवं आपसे संबंध))

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :-

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, के साथ सभी अनुमान्य शर्तों के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ/नहीं) :-

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :-

(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (उपर से नीचे तक) :-

(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठों की संख्या (नीचे से उपर तक) :-

"मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रद्द करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।"

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता